रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012024-251537
CG-DL-E-20012024-251537

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 299]	**नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 19, 2024/पौष 29, 1945**
No. 299]	**NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 19, 2024/PAUSHA 29, 1945**

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2024

का.आ. 310(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 26 दिसम्बर, 2022 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 6060(अ), तारीख 22 दिसम्बर, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर के निष्पादन के प्रयोजन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात्, ''दि टाईम्स ऑफ इण्डिया'' और ''दिव्य भास्कर'' में तारीख 03 फरवरी, 2023 को प्रकाशित किया गया था;

और, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त अधिसूचना के संबंध में जनता से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (1) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपधारा (2) के अनुसरण में,–

(i) सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी; और

(ii) यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन पर, इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, उस पर आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् ''वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर'' के लिए संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिलाः बनासकांठा

क्रम संख्या	तालुका का नाम	ग्राम का नाम	नया सर्वेक्षण संख्या / ब्लॉक संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	भू–स्वामी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पालनपुर	सेंद्रासणा	236 गामतल सम्पति संख्या 497/1	निजी	गामतल सम्पति	0.0264	परमार महेशभाई भीखाभाई

[फा. सं. 2023/एलएमएल–II/12/1/डब्ल्यू सी/2452]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भूमि एवं सुविधाएं)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2024

S.O. 310(E).—WHEREAS by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O.6060 (E), dated the 22nd December, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 26th December, 2022 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the purpose of execution of Special Railway Project, namely, Western Dedicated Freight Corridor in the District of Banaskantha in the State of Gujarat;

AND WHEREAS, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely "The Times of India" and "Divya Bhaskar", dated the 3rd February, 2023 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

AND WHEREAS, no objections were received from the public in respect of the said notification within the specified period;

AND WHEREAS, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), and in pursuance of sub-section (2), of section 20E of the said Act, the Central Government,-

(i) upon receipt of the said report of the competent authority, hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose; and

(ii) hereby declares that on publication of this notification, the lands specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely upon it free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project, namely, "Western Dedicated Freight Corridor" in the district of Banaskantha in the State of Gujarat.

DISTRICT: Banaskantha

Sr. No.	Name of Taluka	Name of Village	New Survey No./ Block No.	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectares	Name of Land Owners
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Palanpur	Sedrasana	236 Gamtal Property No. 497/1	Private	Gamtal Property	0.0264	Parmar Maheshbhai Bhikhabhai

[F. No. 2023/LML-II/12/1/WC/2452]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (Land and Amenities)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA